राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	414/2022 रामस्वरूप बनाम नानू हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 07/01/2026 को पेश हो।	
07/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण एवं रेस्पो. संख्या 5 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 16/12/2020 पारित करते हुए तहसीलदार चौमू को विवादित भूमि खसरा नम्बर 521/1 रकबा 0.70 हैक्टेयर भूमि के जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारो के रहवास/मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुये कब्जे काश्त के आधार पर बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/12/2021 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16/12/2021 के विरुद्ध यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16/12/2021 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 15/06/2022 को करीबन 6 माह की देरी से प्रस्तुत की गयी है एवं 6 माह की देरी को कन्डोन करवाने हेतु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद में अंकित तथ्य स्वीकार योग्य जाहिर नही होते है क्यूकी अपीलार्थी स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण रहे है, ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत वाद में की गयी कार्यवाही की उन्हें जानकारी नही होने होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता है। इस के अतिरिक्त गुणावगुण के सन्दर्भ में उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी जाहिर नही होती है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16/12/2021 यथावत	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**रामस्वरूप बनाम नानू** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रखे जाकर अपील अपीलार्थीगण मियाद बाहर प्रस्तुत होना तथा गुणावगुण पर भी बलहीन होने से ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	